R-3849-I-16

समक्ष-न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक................/2016

आवेदिका- श्रीमती रेखा धर्मपत्नि श्री कन्हैयालाल उदासी
निवासी-शिवाजी वार्ड कटनी, तह0 व जिला कटनी म0प्र0

विरूद्ध

अनावेदक- म0प्र0शासन

पुनरीक्षण आवेदनपत्र-अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

आवेदिकामानूनीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय **श्रीमान अपर कलेक्टर जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 33/बी-121/2013-14, में पारित आदेश दिनांक** 29.03.2014 से व्यथीत होकर निम्न लिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है।

// प्रकरण के तथ्य //

1. यह कि, आवेदिका **शिवाजी वार्ड कटनी** तह0 व जिला कटनी का स्थाई निवासी है।
2. यह कि, आवेदिका की **ग्राम पड़रवारा प0ह0नं0 44, रा0नि0मं0-पहाड़ी, तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 202 रकवा 0.60 हे0** भूमि का भूमिस्वामी मालिक काबिज है।
3. यह कि, उक्त भूमि पूर्व में **श्री बुध्दा वल्द गजाधर चौधरी निवासी-ग्राम पड़रवारा, तह0 व जिला कटनी** के नाम भूमि स्वामी स्वत्व में दर्ज थी। उक्त भूमि **श्री बुध्दा** को शासन द्वारा वर्ष **1975 के पूर्व** पट्टे पर प्रदान की गई थी । जिन्हे 10 वर्ष बाद धारा 158 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो चुके थे बाद के वर्षो में उनका नाम बतौर भूमिस्वामी खसरा अभिलेख में दर्ज किया गया तथा भूमि स्वामी अधिकार की ऋणपुस्तिका प्रदान की गई। **ऋणपुस्तिका एवं खसरा की छायाप्रति संलग्न है जो संलग्नक पी-1 है।**
4. यह कि, **बुध्दा वल्द गजाधर चौधरी** के द्वारा ग्राम पड़रवारा प0ह0नं0 44, **रा0नि0मं0-पहाड़ी, तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 202 रकवा 0.60 हे0** भूमि को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक **03.12.1992** को विक्रयपत्र की संपूर्ण राशि प्राप्त कर आवेदिका के पक्ष में विक्रयपत्र का निष्पादन कराया गया है। **विक्रयपत्र की छायाप्रति संलग्न है जो संलग्नक पी-2 है।**
5. यह कि, **श्री बुध्दा वल्द गजाधर चौधरी,** को पट्टा प्राप्ति दिनांक से 10 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के कारण उन्हे बतौर भूमिस्वामी हक प्राप्त हो चुका था अतः उन्हे विक्रय के पूर्व कलेक्टर महोदय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं था।
6. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर जिला कटनी के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक **33/बी-121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 29.03.2014,** आवेदिका को उक्त प्रकरण में उपस्थित होने की तथा साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, आवेदिका की **ग्राम पड़रवारा प0ह0नं0 44, रा0नि0मं0-पहाड़ी, तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 202 रकवा 0.60 हे0** के खसरा अभिलेखों पर मध्यप्रदेश शासन का नाम दर्ज कर दी गई । जिससे व्यथीत होकर आवेदिकाके द्वारा यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र मानूनीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आदेश की छायाप्रति संलग्न है जो संलग्नक पी-3 है।

रेखादेवी

...2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी / 3849 / एक / 2016 **जिला–कटनी**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-12-2016	यह निगरानी आवेदिका द्वारा अपर कलेक्टर, जिला कटनी के प्रकरण क्रमांक 33 / बी–121 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक्र 29.03.2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम पड़रवारा, प.ह.न.44 रा.नि.म. पहाड़ी तहसील व जिला कटनी के पटवारी द्वारा मिसल बन्दोबस्त वर्ष 1987–88 की प्रति के साथ शासकीय पट्टेदारों की मिसल बन्दोबस्त के आधार पर सूची पेश कर प्रतिवेदित किया है कि ग्राम पड़रवारा प.ह.न.44 स्थित भूमि खसरा नं. 202 रकवा 0.60 है0 भूमि बन्दोबस्त अभिलेख के अनुसार अनावेदक क्रमांक 1 बुद्धा पुत्र गजाधर, शासकीय पट्टेदार का नाम दर्ज है। वर्तमान अभिलेख में उक्त शासकीय पट्टे की भूमि पर अनावेदक क्रमांक 2 श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल उदासी, शिवाजी वार्ड, कटनी तहसील व जिला कटनी का नाम दर्ज है मिसल बन्दोबस्त अभिलेख के अनुसार शासकीय पट्टे की भूमि अहस्तांतर्णीय थी, अतः जांच कार्यवाही हेतु अपर कलेक्टर, जिला कटनी से निवेदन किया गया। इसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर सूचना पत्र जारी किये गये और आदेश दिनांक 29.03.2014 से उपरोक्त भूमि शासकीय घोषित किये जाने एवं राजस्व	

अभिलेख में म0प्र0 शासन दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने गये तथा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिवत् का अवलोकन किया गया।

4– आवेदिका के अभिभाषक द्वारा निगरानी में संलग्न धारा 5 के आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला कटनी द्वारा उन्हें प्रकरण में सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है और पारित आदेश की आवेदिका को कोई सूचना नहीं दी गयी। जब आवेदिका द्वारा दिनांक 06.10.2016 को खसरें की नकल प्राप्त की, तब ज्ञात हुआ कि अपर कलेक्टर, जिला कटनी के आदेश से उनके नाम के स्थान पर म0 प्र0 शासन दर्ज किया गया है। उक्त जानकारी के आधार पर नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं नकल दिनांक 18.10.2016 को प्राप्त हुयी तत्पश्चात् वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त देरी सद्‌भावना पर आधारित होने से वर्तमान पुनरीक्षण को अन्दर अवधि में मान्य किया जाता है।

5– आवेदिका के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि बुद्धा बल्द गजाधर को उपरोक्त भूमि का पट्‌टा विधिवत रूप से जारी किया गया था, जिसके पश्चात् संहिता की धारा 158 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विधि के प्रभाव से उसे भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो गये थे, जिसके पश्चात् उसके द्वारा पट्‌टा प्राप्ति के 17 वर्ष पश्चात् भूमि का विक्रय किया है, ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति लिये जाने की

आवश्यकता ही नहीं थी। इस वैधानिक स्थिति पर विचार किये बिना जो आदेश अपर कलेक्टर, जिला कटनी द्वारा पारित किया गया है, वह विधिवत एवं उचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया गया कि अपर कलेक्टर, जिला कटनी द्वारा उन्हें सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अंत उनके द्वारा वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने एवं आवेदिका का नाम राजस्व अभिलेखों में पूर्ववत दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

6— म0प्र0 शासन की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया गया कि अपर कलेक्टर, जिला कटनी द्वारा उपरोक्त प्रकरण में विधिवत विचार करने के पश्चात् भूमि को शासकीय घोषित किये जाने का आदेश पारित किया है, क्योंकि उनके द्वारा संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन कर भूमि का विक्रय किया है, ऐसी स्थिति में जो पट्टा निरस्त कर भूमि को शासकीय दर्ज किया गया है, वह निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित एवं सही है, ऐसी स्थिति में आवेदिका की ओर से प्रस्तुत निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6— उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का पट्टा तहसील न्यायालय द्वारा बुद्धा पुत्र गजाधर को विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया गया था। तत्पश्चात् पट्टाग्रहिता द्वारा 10 वर्ष से अधिक समय पश्चात् भूमि का विक्रय आवेदिका रेखा पत्नी कन्हैयालाल उदासी के पक्ष में

विक्रयपत्र निष्पादित किया गया है, किन्तु अपर कलेक्टर न्यायालय बुद्धा पुत्र गजाधर का पट्टा मात्र इस आधार पर निरस्त किया है कि उनके द्वारा संहिता की धारा 165(7ख) का उल्लंघन किया है, जबकि वर्ष 2014 आर.एन.196 में निर्धारित किया गया है कि धारा 165(7ख) तथा 158(3) का लागू होना पट्टेदार को वर्ष 1980 तथा दिनांक 28.10.1992 के संशोधन के पूर्व भूमिस्वामी हो गया, ऐसी भूमि के विक्रय के लिए अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। धारा 165(7ख) को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया। उपबंध आकर्षित नहीं होते, ऐसी भूमि के क्रेता का नामांतरण अपास्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने व्यथित पक्षकारों को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित किया है। इस संबंध में 2000 आर.एन. 177 में जो प्रतिपादित किया गया है उस पर विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला कटनी द्वारा आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश को स्थिर रखे जाने का कोई कारण नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर, जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 33 / बी–121 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 29.03. 2014 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। तहसीलदार कटनी को ग्राम पड़रवारा, प.ह.न.44 रा.नि.म. पहाड़ी तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नं. 202 रकवा 0.60 हैक्टेयर के राजस्व अभिलेखों में आवेदिका श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल उदासी, का नाम पूर्ववत इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सदस्य